वकील प्रार्थीया उपस्थित।

5/8/2021 प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थीया की तरफ प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि पक्षकारान के मध्य रामीनामा हो जाने के कारण वह प्रकरण को चलाना नहीं चाहती है इस लिए प्रार्थना पत्र के जरिए विड्रॉल स्वीकृत किया जावे। विड्रॉल पर सुना गया तथा रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया अपना प्रार्थना पत्र चलाना नहीं चाह रही है अतः हस्ब रजामंदी पक्षकारान हस्तगत प्रार्थना पत्र जरिए विड्रॉल स्वीकृत किया जाता है विधि सुनाया गया।

पत्रावली अपने नम्बर से क्यू होकर मूल वाद के साथ हमाफिज रहे।

उपखण्ड अधिकारी
लाडनूं